भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 805293

कार्यायल का नाम	उपनिबन्धन सदर आजमगढ़
1–प्रस्तुत करने की तिथि	21.05.2012
2–निस्पादन की तिथि	22.05.2012
3–प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता	श्री अरविन्द कुमार सिंह पुत्र स्व0इन्द्रेश सिंह प्रबन्धक निवासी ग्राम–मोहबतपुर, पो0–शाहगढ़, तहसील–सदर,जनपद–आजमगढ़।
4–विलेख की प्रकृति–	ट्रस्ट नाम
5–प्रतिफल–	25,000
6–निस्पादन का नाम व पूरा पता –	श्री अरविन्द कुमार सिंह पुत्र स्व0 इन्द्रेश सिंह प्रबन्धक निवासी ग्राम–मोहबतपुर, पो0–शाहगढ़ तहसील– सदर, जनपद–आजमगढ़।
7–ट्रस्ट का नाम व पता –	बाबा बैजनाथ सेवा संस्थान ट्रस्ट मोहबतपुर शाहगढ़ आजमगढ़ तहसील–सदर, जनपद–आजगगढ़।
8–कुल अदा किया गया स्टाम्प –	रू0 1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 131389

(2)

हम कि अरविन्द कुमार सिंह पुत्र स्व0 इन्द्रेश सिंह निवासी ग्राम मोहबतपुर; पो0--शाहगढ़, तहसील--सदर, जनपद--आजमगढ़ स्थायी निवासी हूँ।

हम मुकिर एक ट्रस्ट की स्थापना कर रहा हूँ तथा इसके कार्य रूप में पर्णित कर रहा हूँ हम मुकिर का लगाव हमेशा गरीबो की मदद करना व शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है हम मुकिर का उद्देश्य व मंशा को कार्यरूप में लाने के लिए इस धर्मार्थ ट्रस्ट का विलेखहम मुकिर अपने परिवार के सहयोग व इच्छा से आज दिनांक 21.05.2012 को स्वेच्छा से पूरी तरह विचार विमर्श कर स्वस्थ मन से निस्पादित कर रहा हूँ । जो प्रमाण रहे जो वक्त पर काम आवे ।

1--ट्रस्ट का नाम--इस ट्रस्ट का नाम बाबा बैजनाथ सेवा संस्थान ट्रस्ट मोहबतपुर शाहगढ़ सदर आजमगढ़ होगा ।

2--ट्रस्ट का मुख्यालय -- हमेशा ग्राम मोहबतपुर पो0 शाहगढ़ सदर आजमगढ़ रहेमा। केवल कार्य का आवश्यकता को देखते हुए ही मुख्यालय ट्रस्टी के संस्थापक मण्डल के दो तिहाई बहुमत से ही अनयत्र खोला जा सकेगा तथा ट्रस्ट मण्डल के बहुमत से ही इसका शाखा कार्यालय अनयत्र खोला जा सकेगा ।

अरविन्द कुमार सिंह

अरविन्द कुमार सिंह
प्रबन्धक
बाबा राघवारे सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान
मुहब्बतपुर-शाहगढ़, आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 131388

(3)

3— ट्रस्ट का क्षेत्र — सम्पूर्ण भारत वर्ष।

4— ट्रस्ट का उददेश्य —

(क) लोगो को सामाजिक आर्थिक शैक्षिक अध्यात्मिक शारीरिक व्यवसायिक एवं बौद्विकविकास करना ।

(ख) लड़के व लड़कियो के लिए सामान्य शिक्षा उच्च शिक्षा रोजगार परख व आय परक तकनीकी एवं व्यसायिक अध्यात्मिक व पॉलिटेकनिक कालेज व आई टी आई कालेज विधि कालेज व शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान व विधिक कालेज व काफ्ट प्रशिक्षण कम्प्यूटर एवं व प्राविधिक मेडिकल व वैज्ञानिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाओ की व प्राइमरी से लेकर इण्टर स्कूल की स्थापना करना उनका संचालन करना तथा उस कम में विभागीय केन्द्रो, प्रकोष्टो आदि की स्थापना करना एवं सम्बन्धित पाठ कमो को लागू करना।

(ग)— आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगो महिलाओ छात्रो एवं छात्राओ बच्चो तथा बूढो एवं निरक्षर मुक बाधिरो के लिए कल्याणकारी योजनाओ का कार्यान्वयन करना ।

अरविन्द कुमार सिंह

अरविन्द कुमार सिंह
प्रबन्धक
[illegible] संस्थान
[illegible] आजमगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 131387

(घ)– गरीब व्यक्ति के निदान के लिए दवाओं का वितरण करना तथा अस्पताल स्थापि करके या चिकित्सको की सेवाए हासील करके उनको सस्ती व मुक्त चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना तथा निशुल्क नेत्र चिकित्सा सिविर आदी आयोजन करना ।

(ड)– ग्रामीण क्षेत्रो में शिक्षा का विस्तार वेराजगारो के लिए रोजगार तथा प्राविधिक शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा एवं विधि कालेज खोलना व रोजगार परक शिक्षा पर विशेष बल देना ।

च– सास्कृतिक वैज्ञानिक धार्मिक एवं तकनीकी कार्यकमो का आयोजन करना व उनकी व्यस्था करना।

छ– पुस्तकालय एवं वाँचनालय व छात्रावास व्यामशाला व प्रयोगशाला की व्यवस्था करना।

ज– समाज के सभी वर्गो के होनहार परिश्रमी व कुशल बुद्धी के छत्रों के लिए विभिन्न सामान पारितोषिक छात्रवृत्ति एवं अनुदान की यथासम्भव व्यवस्था करना व अन्य सुविधाए प्रदान करना एवं निशासितों एवं अनाथालय बृद्धा आश्रम तथा यात्रियों हेतु धर्मशाला आदि का निर्माण करना। अरविन्द कुमार सिंह

उत्तर प्रदेश. UTTAR PRADESH

18AA 619398

झ– भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार व स्वेच्छित एन0जी0ओं0 द्वारा प्राप्त सहभागिता योजनाओं को संचालित करना।

ड़– ट्रष्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु आवश्यकता पड़ने पर ट्रष्ट मण्डल के अध्यक्ष व सचिव/प्रबन्धक को यह अधिकार होगा कि वह ट्रष्ट मण्डल की सहमति से नियमानुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा संस्था से लोन ले सकता है। लोन की अदायगी करने के लिए ट्रष्ट मण्डल बाध्य होगा।

5. उपरोक्त हेतु ट्रष्ट बीना किसी भेद भाव के उपयुक्त प्रकार के लोक कल्याण के कार्यों को पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेगा जिसके लिए व्यक्तिओं जन प्रतिनिधियों से एवं संगठनों, संस्थाओं तथा सरकार से अनुदान–चन्दा, दान, कय, संविदा तथा अन्य बैध तरीकों द्वारा चल व अचल संम्पत्ति प्राप्त व अर्जित कर सकेगा।

अरविंद कुमार सिंह

अरविंद कुमार सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

(6)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18AA 619397

ट्रस्टीगण निम्नलिखित व्यक्ति है–

क्र0सं0 नाम उम्र पिता/पति का नाम पता पेशा

1.अरविन्द कुमार सिंह 44 वर्ष पुत्र स्व0 इन्द्रेशसिंह ग्राम मोहब्बतपुर
प्रबन्धक पो0–साहगढ़
तह0–सदर
जिला–आजमगढ़।

2.सरिता सिंह उम्र 42 वर्ष पत्नी अरविन्द कु0 सिंह ग्राम मोहब्बतपुर
पो0–साहगढ़
तह0–सदर
जिला–आजमगढ़।

3.सुनिता सिंह उम्र 38 वर्ष पत्नी देवेन्द्र कुमार सिंह ग्राम मोहब्बतपुर
पो0–साहगढ़
तह0–सदर
जिला–आजमगढ़।

4.सुनील कुमार सिंह उम्र 45 पुत्र श्री लल्लन सिंह ग्राम–बेलईसा, पो0–सदर
आजमगढ़।

5.धीरेश सिंह उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री इन्द्रशेन सिंह ग्राम मोहब्बतपुर
पो0–साहगढ़
तह0–सदर
जिला–आजमगढ़।

6.ललित मोहन सिंह उम्र 22 वर्ष पुत्र अरविन्द कु0 सिंह ग्राम–मोहब्बतपुर
7.प्रभात रंजन सिंह उम्र 20 वर्ष पुत्र अरविन्द कु0 सिंह पो0–साहगढ़
8.पृथ्वी पाल सिंह उम्र 18 वर्ष पुत्र अरविन्द कु0 सिंह तह0–सदर
जिला–आजमगढ़।

अरविन्द कुमार सिंह

अरविन्द कुमार सिंह

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18AA 619396

6. उपरोक्त ट्रस्टीगण ट्रस्ट के प्रथम व प्रारम्भीक ट्रस्टीगण है जिनके द्वारा ट्रस्ट की वर्तमान सम्पत्ति संकल्पित व निहित हुई है। इस ट्रस्ट की स्थापना करने वाले उपरोक्त ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट के आजीवन संस्थापक सदस्य रहेगें और इस संस्थान के संस्थापक मण्डल के रूप में प्रतिष्ठित रहेगें।

7. यह कि ट्रस्टीगण की सं0 अधिक से अधिक 12 हो सकती है। जो कि आवश्यकता पड़ने पर वर्तमान ट्रस्टीगण के बहुमत से बन सकते है तथा इस ट्रस्ट के ट्रस्टीगण की बालिग सन्तान जो स्वस्थचित का हो तथा इस ट्रस्ट आस्था रखता हो, नशल बनसल ट्रस्टीगण ट्रस्टीगण होते रहेगें।

8. यह कि उपरोक्त ट्रस्टीगण है जिसके योगदान व सहयोग से ट्रस्ट की वर्तमान सम्पत्ति मु0 25 हजार रूपये के संकल्प समर्पण व प्रदान पर इस ट्रस्ट का सृजन हो रहा है और भविष्य में उपरोक्त ट्रस्टी अपने उद्देश्यों के पूर्ति हेतु कोई अन्य चल व अचल संम्पत्ति वसीयत दान, अनुदान की अथवा संविदा पट्टा द्वारा अर्जी प्राप्त या स्वीकार कर सकते है। उपरोक्त ट्रस्टीगण इसके द्वारा संचालित संस्थाओं के भी आजीवन सदस्य रहेगें तथा इस ट्रस्ट की सदस्य अरविन्द कुमार सिंह पुत्र स्व0 इन्द्रेश सिंह .....प्रबन्धक होगें तथा मुख्य कार्याधिकारी होगें तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के भी अध्यक्ष व सचिव/प्रबन्धक आजीवन रहेगें।

9. यह कि प्रत्येक ट्रस्टी के लिए ट्रस्ट के कार्यो में पूरी दिलचस्पी लेना आवश्यक होगा और यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट मण्डल की चार बैठकों में अनुपस्थित रहेगा तो ट्रस्ट मण्डल को अधिकार होगा कि उस ट्रस्टी को नोटिस के उपरोन्त ट्रस्टी के पद से मुक्त कर सकते है।

प्रबन्धक
बाबा रामप्यारे सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18AA 619395

10. यह कि ट्रस्ट का अध्यक्ष व सचिव/प्रबन्धक इस ट्रस्ट के मुख्य कार्याधिकारी होगें तथा ट्रस्ट मण्डल निर्णय के अनुसार ट्रस्ट का प्रबन्धन करेगा तथा उन्हे अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति करने का अधिकार होगा।

11. यह कि अध्यक्ष व सचिव/प्रबन्धक की मृत्यु होने पर या त्याग पत्र देने पर ट्रस्टीगण को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट की निष्पादित अरविन्द कुमार सिंह के पुत्रों की नशल व बतसल में से ही किसी को अध्यक्ष व सचिव/प्रबन्धक का चयन बहुमत से करेंगे।

12. यह कि ट्रस्ट मण्डल की बैठक कम से कम व 1 वर्ष में दो बार अवश्य होगें जिसमें ट्रस्ट के संचालन व कियाकलापों पर विचार व वर्ष में एक वार्षिककोत्सव होगा, जिसमें ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के कियाकलापों व हीसाब किताब का लेखा जोखा होगा तथा अन्य आवश्यक निर्णय लिए जायेगे।

13. यह कि ट्रस्ट की संम्पूर्ण धनराशि किसी राष्ट्रिय रजिस्टर्ड बैंक या पोस्टआफिस में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन जरिये अध्यक्ष व सचिव/प्रबन्धक स्वयं के रूप से करेगें।

14. यह कि ट्रस्ट में एक कोषाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति ट्रस्टीय मण्डल अपने बहुमत से 3 वर्ष के लिए करेगा कोषाध्यक्ष के लिए आवश्यक होगा कि हीसाब किताब का ब्योरा सचिव से लेकर रखें तथा उसका आडित प्रतिवर्ष कराये तथा प्रतिवर्ष ट्रस्ट मण्डल से प्राप्त कराये।

15. यह कि ट्रस्ट द्वारा स्थापित किये गये संस्थाओं को सूचारू रूप से चलाने के लिए उस स्थान के विशेष नियामों एवं नियमावली बनाने का अधिकार ट्रस्टीय मण्डल को होगा तथा ट्रस्टीय मण्डल उन नियमों व उपनियमों को समय-समय पर आवश्यक संसोधन कर सकेगा।

अरविन्द कुमार सिंह

अरविन्द कुमार सिंह
प्रबन्धक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18AA 619394

16. यह कि ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए ट्रस्ट मण्डल को अपना एक उप समिति कठीत करने का अधिकार होगा जिसमें ट्रस्टीगण के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञों को भी ट्रस्ट मण्ड़ल में मनोनित कर सकेगा तथा इस प्रकार से नियुक्ति की गयी उप समिति के अधिकार उसका कार्यकाल और कार्यक्षेत्र ट्रस्ट मण्डल को निश्चित करने का अधिकार होगा और उक्त समितियां ट्रस्ट मण्डल के बहुमत के निर्णयों पर एवं आदेशों का पालन करेगी ट्रस्ट मण्डल को उक्त उप समितियों को भंग करने उनके सदस्यों को नियुक्त करने तथा विमुक्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

17. यह कि ट्रस्ट को किसी भी निगम द्वारा प्रशासन व किसी भी व्यक्ति द्वारा ट्रस्ट के नाम से जमीन जायदाद प्राप्त करने तथा ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित प्रतिष्ठानों के लिए भवन निर्माण व उसके लिए उपयोगी बस्तुओं का खरीद व व्यवस्था आदि करने का अधिकार होगा। ट्रस्ट को यह भी अधिकार होगा कि कोई सम्पत्ति अथवा धन किसी से दान रूप में प्राप्त करें अथवा कोई सम्पत्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खरीदे या पट्टे या संविदा पर प्राप्त करें तथा किसी विशेष परिस्थिति में ही ट्रस्ट मण्डल के दो तिहाई बहुमत के प्रस्ताव से ट्रस्ट की संम्पत्ति अंन्तरण की जा सकेगी।

18. यह कि ट्रस्ट अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अन्य आवश्यक कार्य जैसे दुकानें, बाजार आदि बनवाकर किराये पर उठाने का अधिकार होगा उक्त आमदनी जो कि दुकानों तथा अन्य प्रकार से होगी वह आमदनी ट्रस्ट के कार्यो हेतु निहित होगी।

19. यह कि ट्रस्ट की ओर से उसके द्वारा स्थापित व संचालित संस्थाओं की प्रत्येक कानूनी कार्यवाही करने का एक मात्र अधिकार ट्रस्ट के सचिव/प्रबन्धक को होगा तथा आजमगढ़ न्यायालय को क्षेत्राधिकार होगा।

अरविन्द कुमार मिश्र

अरविन्द कुमार मिश्र

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18AA 619604

20. **ट्रस्टीगण/ट्रस्टीमण्डल के कर्तव्य एवं अधिकार–**

(क) इस ट्रस्ट का उचित प्रचार व प्रसाद करना और उसे जनप्रिय तथा जनोपयोगी बनाना।

(ख) विधिक के अनुसार हर आवश्यक व उचित कार्य करना तथा उसके लिए हर तरह से प्रयत्नशील रहना।

(ग) ट्रस्ट सम्पत्ति का पूर्ण विवरण रखना उसका लेखा– जोखा रखना तथा समय–समय पर आडिट कराना।

(घ) उपरोक्त ट्रस्ट के अस्तित्व को निरन्तर स्थिर रखना तथा कार्यक्षेत्र एवं सद्गुणों का विस्तार करना।

(ङ) ट्रस्टी मण्डल की वर्ष में कम से कम दो बार पूर्व सूचना के आधार पर बैठक करना आपातकालीन परिस्थिति में विशेष बैठक की व्यवस्था करना तथा बैठक में कार्यवाही पंजिका उसकी सम्पत्ति व आय– व्यय आदि का लेखा– जोखा व विवरण रखना।

अरविन्द कुमार सिंह

अरविन्द कुमार सिंह

प्रबन्धक

बाबा रामप्यारे सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान

मुहम्मदपुर-शाहगढ़, आजमगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18AA 619605

(11)

(च) द इण्डियन ट्रस्त ऐक्ट 1882 अथवा तत्कालीन विधि के अनुरूप और परम्परिक रीति– रिवाज और व्यवहार के अनुसार आवश्यक कार्य करना।

(छ) भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त अनुरक्षण मेन्टिनेन्स के समुचित उपयोग हेतु सुनिश्चित करना, ट्रस्ट के लिए सभी प्रकार के अनुदान, उपहार, लाभांश तथा चन्दा आदि प्राप्त करना।

(ज) ट्रस्ट के विभिन्न विद्यालयों, केन्द्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं, विभागों आदि के लिए उससे सम्बन्धित विधि एवं नियमों का अनुपालन करना और उसके अनुरूप उसकी स्थापना, संचालन एवं प्रबन्धन की व्यवस्था करना तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित इन विद्यालयों, महाविद्यालयों, केन्द्रों, संस्थाओं का संचालन एवं प्रबन्ध ट्रस्ट मण्डल ही करेगा।

(झ) ट्रस्ट / संस्था के वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, स्थानान्तरण करना, पदोन्नति करना, उनके चरित्र पंजिकाओं में दर्ज करना व उस पर निर्णय करना तथा उन्हें पदच्युत करना।

अरविन्द कुमार सिंह

अरविन्द कुमार सिंह
प्रबन्धक
[illegible] शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान
[illegible]-शाहगढ़, आजमगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18AA 619606

(12)

(ञ) ट्रस्ट मण्डल अपने सदस्यों का चयन कार्यो के क्रियान्वयन, उद्देश्यों का विस्तार उपसमिति के निर्देश संस्थाओं के संचालन कर्मचारियों के चयन, निष्काशन आदि का निर्णय अंतिम होगा उसके निर्णयों को कहीं व किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

(ट) किसी प्रकार का वाद आजमगढ़ न्यायालय के न्यायक्षेत्र में आयेगा।

(ठ) ट्रस्ट विलेख नियुक्ति सम्बन्धित दस्तावेज व कार्यवाही पुस्तिका चल व अचल सम्पत्ति के अर्जित करने के क्रम में प्राप्त अभिलेख प्रबन्धक के पास सुरक्षित रहेगें, जिन्हें आवश्यकतानुसार ट्रस्टी मण्डल द्वारा मॉगे जाने पर या आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा।

(ड) ट्रस्टी मण्डल की प्रथम बैठक में व समय– समय पर पदाधिकारियों के अन्य दायित्वों, कर्तव्यों और अधिकारों को निर्धातर किया जायेगा, जो विधि संम्मत हो।

(ढ़) ट्रस्ट के कार्यो एवं उसके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि वे कार्य के लिए ट्रस्टी मण्डल दो तिहाई बहुमत से विश्वसनीय सुयोग्य पात्र व ट्रस्ट के प्रति निष्ठावान व्यक्तियों को देश, प्रदेश, जिलों, ब्लाकों व ग्रामपंचायतों में तीन वर्षीय प्रबन्धन तन्त्र की

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 18AA 619607

नियुक्ति लिखित प्रस्ताव से कर सकेगा, जो हर तीन वर्ष की समाप्ती पर नियुक्ति होती रहेगी तथा इस पर ट्रस्टी मण्डल का पूर्ण नियन्त्रण रहेगा।

(ण) उपरोक्त के अतिरिक्त इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882 एवं तत्कालीन विधि द्वारा प्राप्त अधिकार एवं दायित्व जो उपरोक्त व्यवस्थाओं के प्रतिकूल न हो।

21. **गणपूर्ति–**

ट्रस्टी मण्डल के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में प्रबन्ध समिति ट्रस्टी मण्डल के समक्ष बैठकों की गणपूर्ति मानी जायेगी।

22. **सदस्यता की समाप्ति–**

<u>ट्रस्ट की सदस्यता निम्न परिस्थिति में समाप्त समझी जायेगी–</u>

(क) किसी सदस्य की मृत्यु होने पर।

(ख) किसी सदस्य के पागल अथवा ट्रस्ट में हेरा– फरी व अवैध कार्य करने पर।

(ग) किसी सदस्य के अनैतिक अपराध में लिप्त होने पर।

(घ) किसी सदस्य के सदस्यता से त्याग-पत्र देने की दशा में अध्यक्ष के अनुमोदन पर।

अरविन्द कुमार सिंह
प्रबन्धक
बाबा रामप्यारे सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान
-शाहगढ़, आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18AA 619608

23. संविधान के संशोधन की प्रक्रिया ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टधारियों को यह अधिकार होगा कि किसी भी समय मीटिंग बुलाकर दो तिहाई बहुमत से संविधान को संशोधित कर सकेगें तथा आवश्यकतानुसार संशोधित विलेखों का प्रमाणिकरण करा सकेगें, परन्तु किसी भी दशा ट्रस्ट के मूलभूत उद्देश्यों में संशोधन का अधिकार नहीं होगा।

24. ट्रस्ट/संस्था के नियमों, प्रतिबन्धों, कार्य–कपाल सम्बन्धी विवरण तथा अन्य प्राविधानों के बारे में शंका उत्पन्न होने पर ट्रस्टी मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।

अतः स्वस्थचित एवं बुद्धि से सोच व समझकर यह ट्रस्टनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

अरविन्द कुमार सिंह

[illegible]

अरविन्द कुमार सिंह

प्रबन्धक

[illegible]